



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-2, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, मंगलवार, 17 सितम्बर, 2024

भाद्रपद 26, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 362/79-वि-1-2024-2-क-14-2024
लखनऊ, 17 सितम्बर, 2024

अधिसूचना
विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2024) जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है, जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) अध्यादेश, 2024

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2024)

[भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये
अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं:-

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) अध्यादेश, संक्षिप्त नाम और
2024 कहा जायेगा। प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 12
सन् 2019 की
अनुसूची 2 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे “मूल अधिनियम” कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 44 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भ निम्नानुसार संशोधित किये जायेंगे और नव स्थापित विश्वविद्यालयों के लिये क्रम संख्या 44 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

क्र०सं०	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
45	चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय, उन्नाव, उत्तर प्रदेश	सी०यू० इंटरनेशनल एजुकेशनल ट्रस्ट, चण्डीगढ़

कठिनाइयाँ दूर करने
की शक्ति

3—(1) राज्य सरकार, चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय, उन्नाव, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश प्रदान कर सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अध्यादेश के प्रारंभ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा ;

(2) उप धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 362(2)/LXXIX-V-1-2024-2-ka-14-2024

Dated Lucknow, September 17, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalay (Saatvaan Sanshodhan) Adhyadesh, 2024 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 13 of 2024) promulgated by the Governor. The Uchcha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (SEVENTH AMENDMENT)
ORDINANCE, 2024

(U.P. ORDINANCE NO. 13 OF 2024)

[Promulgated by the Governor in the Seventy fifth Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Seventh Amendment) Ordinance, 2024.

Short title and commencement

(2) It shall come into force on the date of its publication in the *Gazette*.

2. In Schedule-2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") after serial no 44, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and after serial no. 44 for the newly established Universities the following serial number shall be *inserted*, namely:-

Amendment of Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

Sl. no.	Name of the University	Name of the Sponsoring Body
45	Chandigarh University, Unnao, Uttar Pradesh	CU International Educational Trust, Chandigarh

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of Chandigarh University, Unnao, Uttar Pradesh, by order published in the *Gazette* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Power to remove difficulties

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Ordinance.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature, as soon as may be, after it is made. .

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 254 राजपत्र-2024-(675)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 84 सा० विधायी-2024-(676)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।